कोचीं-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

जितनी देवी पति स्व0 बाजो रविदास, निवास स्थान ग्राम–पुरहरा, पोस्ट–रसोईयाधमना, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–बरही, मौजा–पुरहरा, थाना नं0–65, खाता संख्या–09, प्लॉट संख्या–1298 एवं 1299 रकवा क्रमशः 0.02 एकड़ एवं 0.15 एकड़ कुल रकवा 0.17 एकड़ (17 डिसमिल) (सत्रह डिसमिल) भूमि (1.) संतोष रविदास, (2.) बसंत रविदास, (3.) सत्यानन्द कुमार दास तीनों के पिता स्व0 बाजो रविदास निवास स्थान ग्राम–पुरहरा, पोस्ट–रसोईयाधमना, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित केताओं का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-06(A)/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1156/रा0 दिनांक 23.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, बरही को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 365 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती टांड़ एवं घरबारी है। खतियानी रैयत नन्दवा चौकिदार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.82 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी–।। के पृष्ठ संख्या–97। पर खाता संख्या–09 रकवा–2.78 एकड़ की जमाबंदी नान्हो चौकिदार के नाम से कायम है। जमाबंदी रैयत आवेदिका के दादा ससुर हैं। आवेदिका द्वारा जमाबंदी अनुसार धारित कुल रकवा 0.55 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.38 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बरही के अनुशंसा के आलोक में जितनी देवी पति स्व0 बाजो रविदास, निवास स्थान ग्राम-पुरहरा, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बरही, मौजा-पुरहरा, थाना नं0-65, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-1298 एवं 1299 रकवा क्रमशः 0.02 एकड़ एवं 0.15 एकड़ कुल रकवा 0.17 एकड़ (17 डिसमिल) (सत्रह डिसमिल) भूमि (1.) संतोष रविदास, (2.) बसंत रविदास, (3.) सत्यानन्द कुमार दास तीनों के पिता स्व0 बाजो रविदास निवास स्थान ग्राम-पुरहरा, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.05 16:10:32 +05:30
Location: 192.168.0.116